प्रकाशन हेतु अनु

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय न्यायाधीश श्री प्रशांत कुमार मिश्र

द्वितीय अपील संख्या। 19/2007

राधेश्याम @ उल्ला

विरुद्ध

बंगु एवं अन्य

आदेश

दिनांक 28/1/2011 को सूचीबद्ध करें|

सही

प्रशांत कुमार मिश्रा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रकाशन हेतु अनु

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय न्यायाधीश श्री प्रशांत कुमार मिश्र

द्वितीय अपील संख्या। 19/2007

अपीलकर्ता : राधेश्याम @ उल्ला

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : बंगु एवं अन्य

उपस्थित :

श्री गौतम भादुरी, अधिवक्ता अपीलकर्ता के ओर से

श्री एस. एन. नांदे के साथ श्री बी. एन. नांदे, अधिवक्ता प्रत्यर्थी क्रमांक 1 से 4 की ओर से

श्री विनोद टेकाम, पैनल अधिवक्ता राज्य/ प्रत्यर्थी क्रमांक 5 के ओर से

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 के तहत अपील ज्ञापन

निर्णय

(28.01.2011)

व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 के तहत प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध प्रतिवादी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा वादी के घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा संबंधी वाद को स्वीकार किया गया तथा विचारण न्यायालय के निर्णय को अपास्त किया गया जिसके तहत वादी का वाद खारिज कर दिया गया था |

2.वादी का मामला, जैसा कि वादपत्र में वर्णित है, यह है कि भागीरथी (जिनका निधन वर्ष 1946 में हुआ) वादियों के दादा थे तथा वादपत्र के साथ संलग्न अनुसूची- अ में वर्णित वादग्रस्त भूमि के स्वामी एवं कब्जेदार थे। वादियों के पिता दया (जिनका निधन वर्ष 1973 में हुआ) स्वर्गीय भागीरथी के एकमात्र पुत्र थे। दिनांक 01.08.2001 को वादी को यह जानकारी हुई कि दरबारी पुत्र मत्रो गढ़ेरी, जो प्रतिवादी क्रमांक-1 राधेश्याम का पिता है, ने कपटपूर्ण ढंग से अनुसूची- ब में वर्णित, जो कि वादग्रस्त भूमि है, से संबंधित राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज करा लिया है। इसके पश्चात वादियों ने वर्ष 1944-45 के अधिकार अभिलेख की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने हेतु आवेदन किया। दिनांक 20.08.2001 को उक्त अधिकार अभिलेख प्राप्त होने पर वादियों को प्रथम बार यह जानकारी हुई कि राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी के पिता दरबारी का नाम वादियों के पिता दया के नाम के साथ संयुक्त रूप से दर्ज किया गया है। प्रतिवादियों के पिता के नाम पर

किया गया उक्त इंद्राज अवैध तथा बिना स्वत्त्व के है। वादियों के पिता दया की मृत्यु वर्ष 1973 में होने के पश्चात वादियों के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किए गए थे और उस समय प्रतिवादी के पिता का नाम अभिलेखों में दर्ज नहीं था, क्योंकि वादग्रस्त भूमि पर उनका कोई अधिकार, स्वत्व या हित नहीं था।

3.वादियों के अनुसार उनके दादा भागीरथी का केवल एक ही पुत्र था, जिसका नाम दया था, तथा प्रतिवादी राधेश्याम अथवा उसके पिता दरबारी का उनके परिवार से कोई संबंध नहीं है। वादीगण वादग्रस्त भूमि के कब्जे में हैं, तथापि जब उन्हें यह जानकारी हुई कि प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि को हस्तांतरित करने का प्रयास कर रहा है, तब उन्होंने वर्तमान वाद प्रस्तुत किया।

4.प्रतिवादी/अपीलार्थी का मामला यह है कि भागीरथी के दो पुत्र थे, जिनके नाम दया एवं दरबारी थे, और इस प्रकार दरबारी का एकमात्र पुत्र होने के नाते वह पारिवारिक संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त है। लिखित कथन में यह भी कहा गया है कि वर्ष 1954 से 1973 तक दया एवं दरबारी के नाम संयुक्त रूप से राजस्व अभिलेखों में दर्ज थे तथा वर्ष 1974 में वादियों के पिता दया की मृत्यु के पश्चात वादियों के नाम अभिलेखों में दर्ज किए गए। आगे यह भी कहा गया है कि दया ने अपने जीवनकाल में कभी भी दरबारी का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं की तथा वास्तव में वादियों ने भी उस समय कोई आपत्ति नहीं उठाई जब उनके नाम दरबारी के नाम के साथ राजस्व अभिलेखों में दर्ज किए गए। इसके अतिरिक्त वर्ष 1988 एवं 1989 में, जब तहसीलदार सूरजपुर द्वारा वादियों एवं दरबारी के मध्य बंटवारा किया गया, उस समय भी किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की गई। विशेष रूप से यह कहा गया है कि स्व. भागीरथी, जो भूमि के स्वामी थे, को भागीरथी उर्फ मत्रो के नाम से भी जाना जाता था, अतः भागीरथी एवं मत्रो एक ही व्यक्ति के नाम हैं और ग्राम कुसमुसी में मत्रो नाम का कोई अन्य व्यक्ति नहीं था। इसी कारण दरबारी का नाम राजस्व अभिलेखों में भागीरथी उर्फ मत्रो का पुत्र होने के नाते दर्ज किया गया। यह भी कहा गया है कि यह सिद्ध करने का दायित्व कि भागीरथी एवं मत्रो दो भिन्न-भिन्न व्यक्ति थे, वादियों पर ही है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5.प्रतिवादियों द्वारा यह आपत्ति भी उठाई गई है कि वर्तमान वाद परिसीमा से बाधित है तथा वादी के पक्ष में इस वाद को प्रस्तुत करने हेतु कोई वाद हेतुक उत्पन्न ही नहीं हुआ है।

6.दोनों पक्षकारों द्वारा अपने-अपने मामलों के समर्थन में मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए तथा दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश किए गए।विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष दर्ज करते हुए कि भागीरथी एवं मत्रो एक ही व्यक्ति के नाम हैं तथा दरबारी, भागीरथी उर्फ मत्रो का पुत्र होने के कारण, प्रतिवादी क्रमांक-1 राधेश्याम भी राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज कराने का

अधिकारी है, वादियों का घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा संबंधी वाद खारिज कर दिया। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय किया गया कि वर्तमान वाद परिसीमा से वर्जित है।

7.प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वादियों द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त कर दिया तथा वाद को डिक्री किया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने यह पाया कि वादियों का वाद परिसीमा के भीतर है तथा अभिलेख में मौजूद साक्ष्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि भागीरथी और मत्रो दो अलग-अलग व्यक्ति थे।

8.अपील को साक्ष्यता पर स्वीकार करते समय, इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित विधि के सारवान प्रश्न विरचित किए गए हैं:-

"(I) क्या वादियों द्वारा प्रस्तुत वाद परिसीमा द्वारा वर्जित था?

(2) क्या अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों की स्थिति में, प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष कि दरबारी भागीरथी का पुत्र नहीं था, अनुचित है?

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9.विधि का पहला सारवान प्रश्न यह है कि क्या वादी का वाद परिसीमा द्वारा वर्जित है। अपीलकर्ता/प्रतिवादी का कहना है कि वाद स्पष्ट रूप से परिसीमा द्वारा वर्जित है, क्योंकि वादियों के अपने कथन के अनुसार उन्हें वर्ष 1973 में यह ज्ञात हो गया था कि दरबारी का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया है, और वर्तमान वाद दिनांक 27/08/2001 को प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यह परिसीमा बाह्य है। इसके विपरीत प्रत्यर्थी/वादी यह दावा करते हैं कि वाद कारण दिनांक 20 अगस्त, 2001 को उत्पन्न हुआ, जब उन्हें राजस्व अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्राप्त हुईं और उन्हें प्रथम बार यह जानकारी हुई कि दरबारी का नाम भी राजस्व अभिलेखों में दर्ज है तथा दरबारी ने यह घोषणा करनी शुरू कर दी कि वह वादग्रस्त भूमि को हस्तांतरित करना चाहता है।

10.वादी का यह कहना है कि जब वर्ष 1973 में उन्हें राजस्व अभिलेखों में दरबारी के नाम के प्रविष्टियों का पता चला, तब उन्होंने राजस्व अधिकारियों को शिकायत की और अभिलेखों को सुधारा गया। प्रादर्श पी-7 वर्ष 1975-76 के अधिकार अभिलेख हैं, जिसमें वादियों के नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज हैं और दरबारी का नाम इसमें नहीं है। प्रादर्श पी-10 वर्ष 1988-89 का राजस्व अभिलेख है, जो कुल क्षेत्रफल 6.751 हेक्टेयर में से 1.728 हेक्टेयर के सात खसरा नंबरों से संबंधित है, जैसा कि प्रादर्श पी-7 में वर्णित है। इस प्रकार, वादियों का यह कहना कि प्रतिवादी/अपीलकर्ता ने अपना नाम छलपूर्वक दर्ज कराया और जब वादियों को उसके नाम इंद्राज किये जाने का पता चला, तब उन्होंने प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्राप्त कीं तथा दिनांक 20 अगस्त,

2001 को उन्हें प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के बाद दिनांक 27/08/2001 को वाद दायर किया गया, यह अच्छी तरह से स्थापित प्रतीत होता है| अतः यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि वर्तमान वाद दायर करने का वाद कारण दिनांक अगस्त 2001 को उत्पन्न हुआ और वादी द्वारा दायर वाद परिसीमा के भीतर है।

11.दया सिंह और अन्य बनाम गुरुदेव सिंह (स्व.) द्वारा एलआरएस. और अन्य, (2010) 2 एस सी सी 194 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 15 में निम्नलिखित रूप में निर्णय दिया है-

> "15. इसी प्रकार का विचार सी. मोहम्मद यूनुस बनाम सैय्यद्द उन्नीसा एआईआर 1961 एस सी 808 में भी दोहराया गया, जिसमें इस न्यायालय ने यह अवधारित किया: (एआईआर) पृष्ठ 810, कंडिका 7।"
>
> ;7.... अनुच्छेद 120 द्वारा निर्धारित छह वर्ष की अवधि उस तिथि से गणना की जानी चाहिए जब वाद दायर करने का अधिकार उत्पन्न होता है। वाद दायर करने का कोई अधिकार तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वाद में दावा किए गए अधिकार का उत्पन्न होना न हो और उसका हनन न हुआ हो, या कम से कम उस अधिकार के हनन की स्पष्ट एवं अनिवार्य धमकी न हो।"
>
> सी. मोहम्मद यूनुस (पूर्वोक्त) के मामले में इस न्यायालय ने यह निष्कर्ष दिया कि अधिनियम की धारा 58 के प्रयोजनों के लिए वाद कारण केवल तब उत्पन्न होता है जब वाद में दावा किए गए अधिकार का हनन होता है, या कम से कम उस अधिकार के हनन की स्पष्ट और अनिवार्य धमकी होती है। अतः केवल राजस्व अभिलेखों में प्रतिकूल प्रविष्टि होने मात्र से वाद कारण उत्पन्न नहीं होता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12.अतः, अभिवचन और साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि 1973 के बाद राजस्व अभिलेखों में सुधार किया गया और दरबारी का नाम हटा दिया गया था। किन्तु जब उसका नाम पुनः छलपूर्वक दर्ज किया गया, तो यह वादियों के ज्ञान में दिनांक अगस्त 2001 में आया, और यह पूरी तरह से स्थापित है। अतः वादियों द्वारा दिनांक अगस्त 2001 को दायर किया गया वाद परिसीमा के भीतर है।

13.दूसरा विधिक प्रश्न दरबारी के मत्रो नाम से भी जाने जाने के संबंध में है। प्रदर्श पी-4 सूरजपुर विधानसभा क्षेत्र का वर्ष 1975 का मतदाता सूची है, जिसमें दरबारी के पिता का नाम मत्रो के रूप में अंकित है, जबकि प्रदर्श पी-5 उसी वर्ष की मतदाता सूची है, जिसमें दया के पिता का नाम

भागीरथी के रूप में दर्ज प्रदर्श पी-6 एक अन्य दस्तावेज़ है (वर्ष 1957-1965 का) जिसमें दरबारी को मत्रो का पुत्र बताया गया है। प्रदर्श पी-8 सरगुजा राज्य के सेटलमेंट खतीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि है, जिसमें रायत का नाम गिर्धारी के पुत्र भागीरथी गढ़ेरी के रूप में उल्लेखित है और इसे भागीरथी उर्फ मत्रो के रूप में नहीं दर्शाया गया। प्रदर्श पी-9 वर्ष 1954-55 का अधिकार अभिलेख है, जिसमें दरबारी को भागीरथी का पुत्र बताया गया है। यही दस्तावेज़ है जिस पर प्रतिवादी ने बिक्री पत्र प्रदर्श डी-5/वस्तु - ए पर विश्वास व्यक्त किया है, जिसमें दरबारी और दयराम दोनों को भागीरथी के पुत्र के रूप में दर्शाकर किसी अन्य व्यक्ति को कुछ भूमि बेची गई है। यह बिक्री पत्र दिनांक 9 मार्च, 1971 का है।

14.अपीलकर्ता के अनुसार मतदाता सूची में की गई प्रविष्टियों को विधि के अनुसार प्रमाणित नहीं किया गया है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के मामले (2010) 9 एस सी सी 209, **मदन मोहन सिंह और अन्य बनाम रजनी कांत और अन्य** का संदर्भ दिया है। अपीलकर्ता ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय दुबरिआ **बनाम हर प्रसाद और अन्य, (2009) 9** 9 एस सी सी **346** का भी अवलंब किया, यह तर्क देते हुए कि विचारण न्यायालय की डिक्री को पलटते समय प्रथम अपीलीय न्यायालय को अभिलेख पर उपलब्ध पूरे साक्ष्यों का सम्यक् मूल्यांकन करना आवश्यक है।इसके विपरित प्रत्यर्थी के पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दस्तावेजों की प्रतियां, जैसे कि वैधानिक प्राधिकारी द्वारा बनाए गए मतदाता सूची, यह प्रमाणित करने के लिए कि प्रविष्टियाँ वैध हैं, उस अधिकारी को गवाही देने के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है जिसने प्रविष्टियाँ कीं। उन्होंने इस संदर्भ में **कीर्तन साहू, उसके बाद उमा सहुआनी और अन्य बनाम ठाकुर साहू और अन्य**, एआईआर **1972 ओडिशा 158 (पूर्ण न्यायपीठ), पैराग्राफ 7**, और श्रीमती ऐना देवी **बनाम बचन सिंह और अन्य,** एआईआर **1980 अल्लाहाबाद 174** के निर्णयों पर अवलंबन लिया|

15.यह प्रतिवादियों का स्वयं का मामला है, जैसा कि लिखित कथन में कहा गया है, कि भागीरथी के केवल दो पुत्र थे। तथापि, प्रतिवादी राधेश्याम, जो स्वयं ब. सा.-5 के रूप में गवाही हेतु उपस्थित हुआ, उसने यह स्वीकार किया कि धीरू उसका सगा चाचा था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, जैसा कि इस गवाह द्वारा आगे स्वीकार किया गया, भागीरथी के तीन पुत्र थे, अर्थात् दया, दरबारी और धीरू। यह स्वीकारोक्ति प्रतिवादी की संपूर्ण प्रतिरक्षा को अस्थिर, अविश्वसनीय तथा संदेहपूर्ण बना देती है। इसके अतिरिक्त, अ.सा.-2 रामरूप (आयु 75 वर्ष) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भागीरथी और मत्रो दो अलग-अलग व्यक्ति थे। इस गवाह ने यह भी स्पष्ट किया कि वह भागीरथी को जानता था तथा उन्हें उसने स्वयं देखा था और भागीरथी को कभी मत्रो के नाम से नहीं जाना जाता था। अ.सा.-3 भुद्धूराम (आयु 65 वर्ष) ने भी अपने बयान में कहा है कि भागीरथी और मत्रो दो भिन्न-भिन्न व्यक्ति थे। इसके अलावा, एक अन्य गवाह अ.सा.-4 छोटा ने भी वादियों के मामले का समर्थन करते हुए कहा है कि भागीरथी का केवल एक ही पुत्र था,

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

जिसका नाम दया था, तथा मत्रो ग्राम दलोनी, सिंगरौली का निवासी था। इस गवाह ने स्पष्ट रूप से इस सुझाव का खंडन किया है कि मत्रो और भागीरथी एक ही व्यक्ति थे।

16.अतः, गवाहों के कथनों तथा मतदाता सूची की प्रतिलिपियाँ प्रदर्श पी.-4 एवं प्रदर्श पी.-5 तथा वर्ष 1957 से 1965 की राजस्व प्रविष्टियाँ प्रदर्श पी.-6, जिनमें दरबारी को मत्रो का पुत्र बताया गया है, के आधार पर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा यह जो निष्कर्ष दर्ज किया गया है कि दरबारी, भागीरथी का पुत्र नहीं था, वह अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से पूर्णतः समर्थित है और उसे विकृत अथवा अनुचित नहीं कहा जा सकता। जहाँ तक मतदाता सूची के रूप में उपलब्ध साक्ष्य की प्रकृति का प्रश्न है, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने **कीर्तन साहू, उसके पश्चात उमा सहुआनी एवं अन्य बनाम ठाकुर साहू एवं अन्य (उपर्युक्त)** के प्रकरण को,कण्डिका 7 में निम्नलिखित रूप से निर्णय दिया है:

> **"**7. मतदाता सूची एक सार्वजनिक दस्तावेज़ होने के कारण साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है। जिन तथ्यों के आधार पर उक्त सूची में प्रविष्टियाँ की गई हैं, उनके स्रोत को प्रमाणित करना आवश्यक नहीं है, और न ही यह आवश्यक है कि मतदाता सूची तैयार करने वाले व्यक्ति को न्यायालय में परीक्षित किया जाए ताकि उस सूची को सिद्ध किया जा सके। एक लोक दस्तावेज़ होने के कारण यह साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकार्य है। जैसा कि न्यायिक समिति द्वारा (1879) 7 इंडियन अपील्स 63 (पी.सी.) [रानी लेखराज कुअर बनाम बाबू महपाल सिंह] के प्रकरण में प्रतिपादित किया गया है।**"**
>
> "चूँकि प्रविष्टि में सुसंगत तथ्य का उल्लेख किया गया है, इसलिए वह प्रविष्टि स्वयं इस धारा के प्रभाव से एक सुसंगत तथ्य बन जाती है; अर्थात् उसे एक सुसंगत तथ्य के रूप में साक्ष्य में प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि यह किसी लोक सेवक द्वारा की गई है और उसमें ऐसे तथ्य की प्रविष्टि है जो सुसंगत है।**"**

अतः, हमारे समक्ष संदर्भित प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया जाता है—

> **"**जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत तैयार की गई मतदाता सूची, उसे तैयार करने वाले अधिकारी तथा जानकारी प्रदान करने वाले व्यक्ति को न्यायालय में परीक्षित किए बिना भी साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है।**"**

अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि मतदाता सूची की साक्ष्य के रूप में स्वीकार्यता के संबंध में इस न्यायालय की युगलपीठ द्वारा (1970) 36 कट एलटी 1211 में तथा पूर्व में एकल न्यायाधीश द्वारा उद्धृत अन्य तीन प्रकरणों में व्यक्त किया गया दृष्टिकोण सही नहीं था।**"**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17.उपरोक्त विवेचना के दृष्टिगत यह निर्णय किया जाता है कि मतदाता सूची प्रदर्श पी.-4 एवं प्रदर्श पी-5 साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हैं।

18.उपरोक्त चर्चा के परिप्रेक्ष्य में दोनों महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न प्रतिवादी/अपीलकर्ता के विरुद्ध निर्णयित किए जाते हैं और परिणामस्वरूप वर्तमान द्वितीय अपील ख़ारिज की जाती है।

19.वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है।

20.तदनुसार डिक्री तैयार की जाए।

सही
प्रशांत कुमार मिश्रा
न्यायधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By - Adv. Shikha Kaushik